रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 22 मार्च, 2025 ई० (चैत्र 01, 1947 शक संवत्) [संख्या 12

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग.अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	131–140	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	319–348	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	..	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	24–30	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	329–355	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

नियुक्ति

13 मार्च, 2023 ई0

सं0 927/296/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2024—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में सुश्री प्रज्ञा यादव, पुत्री श्री प्रभात कुमार यादव, निावसी-3/409, विश्वास खण्ड-3, गोमतीनगर, जनपद-लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/— से रु0 1,77,500/— में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं—

2— कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3— सुश्री प्रज्ञा यादव उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4— उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5— नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी—

1— आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2— केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3— इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4— अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5— एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6— समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7— दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।

8— भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन (प्रथम), लखनऊ में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगी।

9– नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगी।

सं0 929/307/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2024–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में सुश्री अवन्तिका देवी, पुत्री श्री ओम प्रकाश, निवासी-न्यू गोमती नगर छाउछ, थाना व जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3– सुश्री अवन्तिका देवी उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगी।

10– नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगी।

सं0 930/295/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2024–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री शिवम द्विवेदी, पुत्र श्री बंश राज द्विवेदी, निवासी ग्राम एवं पोस्ट बरवारीपुर कादीपुर, जनपद सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3– श्री शिवम द्विवेदी उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अयोध्या में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिकयोगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

10– नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 931/293/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री सुशील कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री रमाकानत पाण्डेय, निवासी ग्राम खेमापुर पोस्ट कटरा बाजार, थाना कोइरौना, तहसील ज्ञानपुर जनपद सन्तरविदासनगर (भदोही) को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3– श्री सुशील कुमार पाण्डेय उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, मिर्जापुर में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

10– नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 932/308/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री मुकेश चन्द्रा, पुत्र श्री श्यामपाल, निवासी-अन्धीखेड़ा, पोस्ट-मैकपुर, तहसील-शाहाबाद, जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/– यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/– से रु0 1,77,500/– में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं–

2– कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3– श्री मुकेश चन्द्रा उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी

नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4– उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5– नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी–

1– आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2– केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3– इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4– अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5– एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।

8– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन (प्रथम), लखनऊ में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिकयोगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

10– नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

सं0 933/299/तीन-ए-425/शि0का0लख0/2023—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-291/94-1-2024-312/22/2024 दिनांक 27 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-494/01/6-3/2023-24 दिनांक 19 फरवरी, 2024 के अनुक्रम में श्री अनिल कुमार यादव, पुत्र श्री राम किशुन यादव निवासी-ग्राम गोसाईपुर मोहॉव तेजपुर थाना चोलापुर तहसील व जनपद वाराणसी, उत्तर प्रदेश को उप रजिस्ट्रार के पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/— यथा-संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100/— से रु0 1,77,500/— में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाती हैं—

2— कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणामस्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

3— श्री अनिल कुमार यादव उप रजिस्ट्रार के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगें तथा परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वह परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहते हैं अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो इनकी सेवायें बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-19(3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अभ्यर्थी को देय वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-22 एवं 23 तथा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के अधीन अनुमन्य होंगी।

4— उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी होने तक यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी एवं उ0प्र0 अस्थायी शासकीय सेवक नियमावली 1975 के नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी समय एक माह की नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

5— नियुक्ति आदेश की प्राप्ति पर उप रजिस्ट्रार के पद पर, पदभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/सूचनाएं प्रस्तुत की जाएगी—

1— आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।

2— केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी अब तक की सेवा के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

3— इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र।

4— अपने कर्जदार न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

5— एक से अधिक पत्नी/पति न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6— समस्त चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र।

7— दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में।

8— भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा में सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

6— नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 (समय-समय पर संशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त शर्ते भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

7– नव नियुक्त अभ्यर्थी को सूचित किया जाता कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, वाराणसी में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान आख्या तथा उपर्युक्त प्रस्तर-5(क-झ) में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि नव नियुक्त कार्मिक योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, जिसके उपरान्त कोई भी निवेदन/प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-20 तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जायेगा।

9– विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त स्वतंत्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750/– (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जिला में जमा करना होगा तथा साक्ष्य स्वरूप छायाप्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

10– नव नियुक्त अभ्यर्थी को प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

डॉ0 रूपेश कुमार,
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0–51 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 मार्च, 2025 ई० (चैत्र 01, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय, बहराइच के जिलाधिकारी, की आज्ञायें

29 जून, 2024 ई0

सं0 582/बारह-ए/भू0व्य0(पुर्नग्रहण)/2024–अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम, संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मोनिका रानी, जिलाधिकारी, बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 08 जनवरी, 2024 तथा 05 अप्रैल, 2024 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र विशुनपुरराहू बहराइच के भवन को बनाने हेतु उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निर्वतन पर रखती हूँ। चूंकि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन (ऊर्जा विभाग) वाणिज्यिक विभाग की श्रेणी में आता है जिसे निर्दिष्ट भूमि को शासनादेश संख्या 1513/एक-1-2020-रा0-1 दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 01 रु0 प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)	पूंजीकृत वार्षिक मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बहराइच	सदर बहराइच	बहराइच	विशुनपुर राहू	86 डमि	0.1200 हेक्टेयर	नवीन परती	33 / 11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र विशुनपुरराहू, बहराइच उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ	226.00 रु0

01 जुलाई, 2024 ई0

सं0 585 / बारह-ए / भू0व्य0(पुर्नग्रहण) / 2024—अधिसूचना संख्या 258 / रा0-1 / 16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम, संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मोनिका रानी, जिलाधिकारी, बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी, मिहींपुरवा (मोतीपुर) द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव / संस्तुति दिनांक 13 मार्च, 2024 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु आयुष विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा / गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
बहराइच	मिहींपुरवा (मोतीपुर)	नानपारा	पुरैना भवानी बक्श	726ख	0.1000 हेक्टेयर	नवीन परती	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु।

25 जुलाई, 2024 ई0

सं0 600/बारह-ए/भू0व्य0(पुर्नग्रहण)/2024–अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम, संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मोनिका रानी, जिलाधिकारी, बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी, कैसरगंज, बहराइच द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 01 जुलाई, 2024 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु आयुष विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
बहराइच	कैसरगंज	हिसामपुर	कुण्डासर	132मि0	0.0204 हेक्टेयर	बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु।

सं0 601/बारह-ए/भू0व्य0(पुर्नग्रहण)/2024–अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम, संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मोनिका रानी, जिलाधिकारी, बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी, कैसरगंज, बहराइच द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 18 जुलाई, 2024 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के निर्माण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
बहराइच	कैसरगंज	हिसामपुर	चौभइया	173	1.8290 हेक्टेयर	नवीन परती	नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के निर्माण हेतु

31 जुलाई, 2024 ई0

सं0 609/बारह-ए/भू0व्य0(पुर्नग्रहण)/2024–अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम, संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मोनिका रानी, जिलाधिकारी, बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी, नानपारा बहराइच द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 24 जुलाई, 2024 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सिटी सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट डम्पिंग ग्राउंड की स्थापना हेतु नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के निर्वतन पर रखती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर–		
बहराइच	नानपारा	नानपारा	भटेहटा	2727	0.849	बंजर भूमि नवीन परती	सिटी सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट डम्पिंग ग्राउंड की स्थापना हेतु
				2741	0.397		
				योग. .	1.246		

मोनिका रानी,
जिलाधिकारी,
बहराइच।

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की उप धारा-19 की अधिसूचना

28 फरवरी, 2025 ई0

सं0 1138/(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ–लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मेसर्स अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 की इण्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना हेतु जनपद-लखनऊ, तहसील व परगना मोहनलालगंज ग्राम मस्तेमऊ व बक्कास 14.3033 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0-41/(भू0अ0)/न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2024 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 12 जून, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13 फरवरी, 2025 के विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल, घोषणा करने का निर्देश देती हैं कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला-लखनऊ, तहसील-मोहनलालगंज ग्राम मस्तेमऊ व बक्कास की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नही है। (लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रयोजन यथा अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई व्यक्ति विस्थापित नही हो रहा है)

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर–
1	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	517	0.1100
2	,,	,,	,,	,,	520	0.2917
3	,,	,,	,,	,,	524	0.0600
4	,,	,,	,,	,,	546	0.3630
5	,,	,,	,,	,,	547	0.6350
6	,,	,,	,,	,,	550	0.1223
7	,,	,,	,,	,,	551	0.1470
8	,,	,,	,,	,,	554	0.1265
9	,,	,,	,,	,,	555	0.1310

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर–
10	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	556	0.5660
11	,,	,,	,,	,,	559	0.3165
12	,,	,,	,,	,,	565	0.3370
13	,,	,,	,,	,,	566	0.3120
14	,,	,,	,,	,,	568 मि0	0.1420
15	,,	,,	,,	,,	568 मि0	0.0700
16	,,	,,	,,	,,	570	0.2070
17	,,	,,	,,	,,	571	0.4740
18	,,	,,	,,	,,	574	0.2430
19	,,	,,	,,	,,	575	0.8243
20	,,	,,	,,	,,	580	0.3340
21	,,	,,	,,	,,	595	0.1895
22	,,	,,	,,	,,	602क	0.5060
23	,,	,,	,,	,,	607	0.1707
24	,,	,,	,,	,,	608 मि0	0.0757
25	,,	,,	,,	,,	608 मि0	0.0126
26	,,	,,	,,	,,	608 मि0	0.0127
27	,,	,,	,,	,,	609	0.0630
28	,,	,,	,,	,,	617	0.0143
29	,,	,,	,,	,,	636	0.0355
30	,,	,,	,,	,,	640	0.0884
31	,,	,,	,,	,,	641	0.1770
32	,,	,,	,,	,,	642	0.025
33	,,	,,	,,	,,	646	0.0345
34	,,	,,	,,	,,	647	0.1658
35	,,	,,	,,	,,	648	0.0593
36	,,	,,	,,	,,	657	0.0545
37	,,	,,	,,	,,	676	0.0665
38	,,	,,	,,	,,	684	0.0275

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर–
39	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ	685	0.0443
40	,,	,,	,,	,,	688	0.1440
41	,,	,,	,,	,,	689	0.0215
42	,,	,,	,,	,,	945	0.0837
43	,,	,,	,,	,,	948	0.6410
44	,,	,,	,,	,,	975	0.0738
45	,,	,,	,,	,,	961	0.5480
					योग ...	**9.1471**
46	,,	,,	,,	बक्कास	333	0.1265
47	,,	,,	,,	,,	334	0.1215
48	,,	,,	,,	,,	335	0.0315
49	,,	,,	,,	,,	336	0.4170
50	,,	,,	,,	,,	337	0.3135
51	,,	,,	,,	,,	338	0.3130
52	,,	,,	,,	,,	836	0.3460
53	,,	,,	,,	,,	837	0.4260
54	,,	,,	,,	,,	838	0.2765
55	,,	,,	,,	,,	840	0.5640
56	,,	,,	,,	,,	841	0.8100
57	,,	,,	,,	,,	842	0.3653
58	,,	,,	,,	,,	844	0.1730
59	,,	,,	,,	,,	845	0.3160
60	,,	,,	,,	,,	846	0.2984
61	,,	,,	,,	,,	853	0.2580
					योग ...	**5.1562**
					कुल योग ...	**14.3033**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज	मस्तेमऊ व बक्कास	शून्य	शून्य

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा, कलेक्टर, लखनऊ 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर,
लखनऊ।
(भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 551–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़ (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद सम्भल तहसील सम्भल परगना सम्भल के ग्राम भैसोडा, मालपुर उर्फ मलुपूरा, शाहपुर डसर, इटालामाफी व रतुपूरा में कुल 0.72875 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2– राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक ..... को अनुमोदित किया गया है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है– सामाजिक समाघात लागू नहीं है।

4– भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5– अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

ग्रामों की सूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	भैसोडा	1008	0.2850
			मालपुर उर्फ मलूपुरा	460	0.0096
			शाहपुर डसर	24/3	0.0040
			इटालामाफी	78	0.0646
				80	0.0450
				योग ...	**0.1096**
			रतूपुरा	357	0.30085
				338	0.0117
				346	0.0080
				योग ...	**0.32055**
				कुल योग ...	**0.72875**

6– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती है।

7– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

डॉ राजेन्द्र पैंसिया,
जिलाधिकारी,
सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

December 04, 2024

No. 551–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.72875 hectares of land is required in the Village Bhesoda, Malpur *urf* Malupura, Shahpur Dasar, Etala Mafi and Ratupura Pargana Sambal, Tehsil Sambal, District Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division-12, Aligarh (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated .....

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessent is not Applicable.

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Bhesoda	1008	0.2850
Do.	Do.	Do.	Malpur Urf Malupura	460	0.0096
Do.	Do.	Do.	Shahpur Dasar	24/3	0.0040
Do.	Do.	Do.	Etala Mafi	78	0.0646
Do.	Do.	Do.	Do.	80	0.0450
				Total	**0.1096**

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Ratupura	357	0.30085
Do.	Do.	Do.	Do.	338	0.0117
Do.	Do.	Do.	Do.	346	0.0080
				Total ...	**0.32055**
				Grand Total ...	**0.72875**

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Dr. Rajendra Pensiya,
District Magistrate,
Sambhal.

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 552–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़ (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) सम्भल बारीपुर

माइनर/धर्मपुर के निर्माण हेतु जनपद सम्भल तहसील सम्भल परगना सम्भल ग्राम बैटला में कुल 0.0578 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2– राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा 0.000 दिनांक 09 जनवरी, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3– सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है– सामाजिक समाघात लागू नहीं है।

4– भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5– अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देती है।

अनुसूची

जनपद	**तहसील**	**परगना**	**ग्राम**	**भूखण्ड सं0**	**अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल**
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	बैटला	907	0.0228
				688	0.0350
				योग ...	**0.0578**

6– अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाए करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7– अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8– अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

डॉ राजेन्द्र पैंसिया,
जिलाधिकारी,
सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of section 11 of the Act]

NOTIFICATION

December 04, 2024

No. 552–Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a Total of 0.0578 hectares of land is required in the Village-Betala, Pargana-Sambal, Tehsil-Sambal, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Divison-12, Aligarh (name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated .....

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not Applicable.

4. A Total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector …… is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Betala	907	0.0228
Do.	Do.	Do.	Do.	688	0.0350
				Total	**0.0578**

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

Dr. Rajendra Pensiya,
District Magistrate,
Sambhal.

शुद्धि-पत्र

कार्यालय, जिलाधिकारी लखनऊ, की भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की अधिसूचना संख्या 961/भू0अ0/न0म0पा0 प्रथम लखनऊ दिनांक 29 जनवरी, 2025 को विज्ञप्ति राजपत्र दिनांक 15 फरवरी, 2025 के भाग 1-क में प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित अधिसूचना के क्रमांक-3 के सम्मुख जिला, तहसील, परगना व ग्राम का नाम गजट में अंकित होना छूट गया है। प्रकाशित अधिसूचना के क्रमांक-3 के सम्मुख जिला लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज, परगना मोहनलालगंज, ग्राम माढरमऊ खुर्द पढ़ा जाये।

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या/गाटा संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5	6	7
3	लखनऊ	मोहनलालगंज	मोहनलालगंज	माढरमऊ खुर्द	26	0.3569

ज्योति गौतम,
कलेक्टर, लखनऊ।
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ)

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आदेश / नियुक्ति

18 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 2805 / ई0-340 / 2024-25—श्री तेज बहादुर यादव, सहायक चकबन्दी अधिकारी, फिरोजाबाद (कोटिक्रम सूची क्र0-5) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400 / —, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या- ए-726 / 2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728 / 2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2806 / ई0-340 / 2024-25—श्री श्याम सिंह राणा, सहायक चकबन्दी अधिकारी, रामपुर (कोटिक्रम सूची क्र0-55) को उनके कनिष्ठ की पदोन्नति के दिनांक 01 अगस्त, 2023 से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400 / —, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या- ए-726 / 2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728 / 2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2807 / ई0-340 / 2024-25—श्री सूर्यनाथ मिश्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बस्ती (कोटिक्रम सूची क्र0-61) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400 / —, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726 / 2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728 / 2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2808/ई0-340/2024-25—श्री अविनाश कुमार पाण्डेय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, अमेठी (कोटिक्रम सूची क्र0-62) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2809/ई0-340/2024-25—श्री सतीश कुमार मिश्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी, कन्नौज (कोटिक्रम सूची क्र0-64) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2810/ई0-340/2024-25—श्री राजेश गुप्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी, औरैया (कोटिक्रम सूची क्र0-66) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2812/ई0-340/2024-25—श्री जगदीश कुमार, सहायक चकबन्दी अधिकारी, ललितपुर (कोटिक्रम सूची क्र0-71) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2813/ई0-340/2024-25–श्री अशोक कुमार लाल, सहायक चकबन्दी अधिकारी, कौशाम्बी (कोटिक्रम सूची क्र0-72) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2814/ई0-340/2024-25–श्री विनय मणि त्रिपाठी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, अमरोहा (कोटिक्रम सूची क्र0-73) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2815/ई0-340/2024-25–श्री रवि प्रकाश सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बलिया (कोटिक्रम सूची क्र0-76) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2816/ई0-340/2024-25—श्री दिनेश कुमार शर्मा, सहायक चकबन्दी अधिकारी, कन्नौज (कोटिक्रम सूची क्र0-77) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2817/ई0-340/2024-25—श्री देवकान्त पाण्डेय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, प्रयागराज (कोटिक्रम सूची क्र0-78) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2818/ई0-340/2024-25—श्री सत्य प्रकाश, सहायक चकबन्दी अधिकारी, उन्नाव (कोटिक्रम सूची क्र0-80) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2819/ई0-340/2024-25—श्री पंकज उप्रेती, सहायक चकबन्दी अधिकारी, मुरादाबाद (कोटिक्रम सूची क्र0-86) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2820/ई0-340/2024-25–श्री अरूण कुमार यादव, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बलिया (कोटिक्रम सूची क्र0-88) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2821/ई0-340/2024-25–श्री मसूद शेरवानी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, खीरी (कोटिक्रम सूची क्र0-90) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2822/ई0-340/2024-25–श्री प्रवीण कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जौनपुर (कोटिक्रम सूची क्र0-93) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2823/ई0-340/2024-25—श्री संजय कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी, प्रयागराज (कोटिक्रम सूची क्र0-94) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2824/ई0-340/2024-25—श्री सुनील कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बाराबंकी (कोटिक्रम सूची क्र0-95) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2825/ई0-340/2024-25—श्री अश्वनी कुमार तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, प्रयागराज (कोटिक्रम सूची क्र0-96) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2826/ई0-340/2024-25—श्री एहतेशाम अहमद खां, सहायक चकबन्दी अधिकारी, हरदोई (कोटिक्रम सूची क्र0-97) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2827/ई0-340/2024-25–श्री आलोक श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी, संतकबीरनगर (कोटिक्रम सूची क्र0-99) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2828/ई0-340/2024-25–श्री अरविन्द कुमार राय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बलिया (कोटिक्रम सूची क्र0-100) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2829/ई0-340/2024-25–श्री अशोक कुमार दूबे, सहायक चकबन्दी अधिकारी, भदोही (कोटिक्रम सूची क्र0-101) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2830/ई0-340/2024-25—श्री डा0 पुनीत शर्मा, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बरेली (कोटिक्रम सूची क्र0-102) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2831/ई0-340/2024-25—श्री लालमणि, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जालौन (कोटिक्रम सूची क्र0-103) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2832/ई0-340/2024-25—श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, कानपुर देहात (कोटिक्रम सूची क्र0-106) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2833/ई0-340/2024-25—श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, महराजगंज (कोटिक्रम सूची क्र0-107) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2834/ई0-340/2024-25–श्री विनय कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, प्रयागराज (कोटिक्रम सूची क्र0-108) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2835/ई0-340/2024-25–श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी, अयोध्या (कोटिक्रम सूची क्र0-109) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2836/ई0-340/2024-25–श्री सुरेश कुमार मिश्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बस्ती (कोटिक्रम सूची क्र0-111) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2837/ई0-340/2024-25—श्री अम्ब्रीश कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, अमेठी (कोटिक्रम सूची क्र0-113) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2838/ई0-340/2024-25—श्री शरद कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, अम्बेडकरनगर (कोटिक्रम सूची क्र0-114) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2839/ई0-340/2024-25—श्री राजेश सुमन, सहायक चकबन्दी अधिकारी, जौनपुर (कोटिक्रम सूची क्र0-116) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2840/ई0-340/2024-25—श्री चिन्ता कुमार तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, मऊ (कोटिक्रम सूची क्र0-117) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2841/ई0-340/2024-25–श्री कृष्ण कान्त राय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, उन्नाव (कोटिक्रम सूची क्र0-118) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2842/ई0-340/2024-25–श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी, महराजगंज (कोटिक्रम सूची क्र0-121) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2843/ई0-340/2024-25–श्री प्रभाकर कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, महराजगंज (कोटिक्रम सूची क्र0-122) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2844 / ई0-340 / 2024-25—श्री अशोक कुमार पाण्डेय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, देवरिया (कोटिक्रम सूची क्र0-123) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400 / —, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726 / 2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728 / 2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2845 / ई0-340 / 2024-25—श्री सुरेश कुमार, सहायक चकबन्दी अधिकारी, रायबरेली (कोटिक्रम सूची क्र0-124) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400 / —, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726 / 2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728 / 2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2846 / ई0-340 / 2024-25—श्री अरविन्द कुमार, सहायक चकबन्दी अधिकारी, प्रयागराज (कोटिक्रम सूची क्र0-125) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400 / —, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726 / 2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728 / 2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2847 / ई0-340 / 2024-25—श्री राकेश कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, मीरजापुर (कोटिक्रम सूची क्र0-126) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400 / —, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2848/ई0-340/2024-25–श्री संजय कुमार दुबे, सहायक चकबन्दी अधिकारी, आजमगढ़ (कोटिक्रम सूची क्र0-127) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2849/ई0-340/2024-25–श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बस्ती (कोटिक्रम सूची क्र0-128) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2850/ई0-340/2024-25–श्री राम सजीवन, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बलिया (कोटिक्रम सूची क्र0-129) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2852/ई0-340/2024-25–श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, हरदोई (कोटिक्रम सूची क्र0-131) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2853/ई0-340/2024-25–श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, खीरी (कोटिक्रम सूची क्र0-132) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2854/ई0-340/2024-25–श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, गोण्डा (कोटिक्रम सूची क्र0-133) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2855/ई0-340/2024-25—श्री नीरज कुमार सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चन्दौली (कोटिक्रम सूची क्र0-135) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2856/ई0-340/2024-25—श्री अरविन्द कुमार, सहायक चकबन्दी अधिकारी, महराजगंज (कोटिक्रम सूची क्र0-138) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2857/ई0-340/2024-25—श्री मुकेश प्रताप सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सम्भल (कोटिक्रम सूची क्र0-139) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2858/ई0-340/2024-25—श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (दिव्यांग), सहायक चकबन्दी अधिकारी, गोरखपुर (कोटिक्रम सूची क्र0-313) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/—, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2— उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

सं0 2859/ई0-340/2024-25–श्री विनोद कुमार शर्मा (दिव्यांग), सहायक चकबन्दी अधिकारी, अलीगढ़ (कोटिक्रम सूची क्र0-387) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चकबन्दी अधिकारी (सहायक चकबन्दी अधिकारी पद पर स्थायीकरण सहित) (अपुनरीक्षित वेतनमान-15,600 से 39,100 ग्रेड पे-5,400/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के जनपद में नियुक्त किया जाता है।

2– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की नवीन तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा कार्य व आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

4– उपरोक्त नव प्रोन्नत चकबन्दी अधिकारी की प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-726/2015 अरूण कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-ए-728/2015 तेज बहादुर यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के परिणाम के अधीन रहेगी।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–51 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 मार्च, 2025 ई० (चैत्र 01, 1947 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 20 सितम्बर, 2024 ई०
29 भाद्रपद, 1946 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/फ़र्रूख़ाबाद/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 195-भोजपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 195-भोजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फ़र्रूख़ाबाद, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री आलोक वर्मा जो उत्तर प्रदेश, विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 195-भोजपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फ़र्रूख़ाबाद, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री आलोक वर्मा को कारण बताओ नोटिस संख्या-76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री आलोक वर्मा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फ़र्रूख़ाबाद द्वारा अपने पत्र-संख्या 125/29निर्वा0(निर्वाचन व्यय0-वि0स0स0नि0-2022) दिनांक 12 जुलाई, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 02 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, फ़र्रूख़ाबाद द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2024 के पत्र-संख्या 395/29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय0-वि0स0स0नि0-2022) के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री आलोक वर्मा ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आलोक वर्मा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि:–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।''

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 195-भोजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश, राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री आलोक वर्मा, निवासी ग्राम-महादेवपूर्वा, पोस्ट-उमर्दा, थाना-इन्दरगढ़, तहसील-तिर्वा, जिला-कन्नौज को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *20th September, 2024* / *29 Bhadra, 1946 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Farrukhabad/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 195-Bhojpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 60/61-2022 dated 25 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 195-Bhojpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Farrukhabad, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Alok Verma, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 195-Bhojpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Farrukhabad, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Alok Verma for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14 December, 2022, Shri Alok Verma was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on January 02, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Farrukhabad, *vide* its letter No. 125 / 29निर्वा0(निर्वाचन व्यय0-वि0स0स0नि0-2022) dated July 12, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Farrukhabad in his Supplementary Report, *vide* its letter 395 / 29-निर्वा0(निर्वाचन व्यय0-वि0स0स0नि0-2022) dated August 30, 2023 has reported that Shri Alok Verma has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses further, after receipt of the due Notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Alok Verma has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Alok Verma resident of Village-Mahadevpura, Post-Umarda, Thana-Indergarh, Tehsil-Tirva, Dist-Kanauj, a contesting candidate from 195-Bhojpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0–51 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–100 निर्वाचन–22.03.2025–25 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 मार्च, 2025 ई० (चैत्र 01, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, कांधला, शामली

13 जनवरी, 2025 ई0

सं0 11/न0पा0परि0कांधला/2024-25–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, कांधला जनपद शामली की बोर्ड बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में विज्ञापन लगाये जाने हेतु "विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि 2023" बनायी गयी है। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत अपेक्षानुसार सभी नगर वासियों से 30 दिन के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से कार्यालय, नगर पालिका परिषद, कांधला के पत्रांक 391 दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के द्वारा प्रस्तावित "विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि 2023" का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जनवाणी एवं अमर उजाला में दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 एवं 20 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित कराया गया था। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका परिषद, कांधला में प्राप्त नहीं हुए। उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के विहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त "विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि 2023" शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

"नगर पालिका परिषद, कांधला (शामली) विज्ञापन शुल्क का निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि 2023"

शासनादेश सं0 2399/ना-5-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1918 की धारा 296 जो नगर पालिका परिषद, कांधला पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, कांधला जनपद शामली ने "विज्ञापन कर निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि 2023" कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

संक्षिप्त नाम–

1– यह उपविधि नगर पालिका परिषद, कांधला "विज्ञापन शुल्क का निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि 2023" कही जायेगी।

2– यह नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत लागू होगी।

परिभाषाएँ– इस उपविधि में जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो–

1– 'अधिनियम' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 अथवा भविष्य में संशोधित अधिनियम से है।

2– 'बोर्ड' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, कांधला (शामली) से है।

3– **'**नगर पालिका परिषद सीमा**'** से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, कांधला (शामली) की सीमा से है तथा भविष्य में जो सीमायें सम्मिलित मानी जायेगी।

4– **'**अधिशासी अधिकारी**'** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद कांधला के अधिशासी अधिकारी से है।

5– **'**विज्ञापन**'** का तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट/साइन बोर्ड से है जो विज्ञापन के लिए प्रचार-प्रसार हेतु पालिका द्वारा चिह्नित स्थिलों पर लगाया जाना है।

6– व्यक्ति में व सम्मिलित है जो विज्ञापन कार्य के लिये नियुक्त किये गये है तथा फर्म या कम्पनी का मालिक, स्थायी प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबन्धक आदि एवं जिसके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

नियम व शर्तें–

1– अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक या अन्य प्राधिकारी के माध्यम से अभिलेख का रख-रखाव करायेंगे तथा स्वयं या अपने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी करेंगे।

2– कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद कांधला, (शामली) की सीमा के भीतर कोई भी विज्ञापन किसी स्थान, भवन अथवा वाहन पर अधिशासी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना न तो लगायेगा न लगवाने का अधिकारी होगा।

3– नगर पालिका परिषद कांधला, की सीमा के अन्तर्गत विज्ञापन हेतु किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार लिखित रूप में आवेदन-पत्र निश्चित स्थान के स्पष्ट मानचित्र, प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री की दो प्रतियों, विज्ञापन का आकार तथा निर्धारित समयावधि के उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अधिशासी अधिकारी उसके विषय, भाषा, स्थान की

उपयुक्तता आदि को देखते हुए नैतिक दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्ति जनक चरित्र की जांच करने के पश्चात नियमानुसार शुल्क जमा करा कर रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कराते हुए नियम व शर्तों के अधीन लिखित रूप से आज्ञा प्रदान करेंगे।

4– अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दी गयी स्वीकृति को जनहित में अथवा अपरिहार्य कारणों से बिना पूर्व में सूचना के रद्द कर दे, ऐसी स्थिति में शुल्क या उसका यथोचित भाग वापस कर कर दिया जायेगा।

5– नगर पालिका परिषद, कांधला की सीमा के अन्तर्गत बिना अनुमति के विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को संबन्धित व्यक्ति के मूल्य, जोखिम और खर्चे पर हटा दे और इस पर किया गया व्यय अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर ले जिसके द्वारा विज्ञापन लगाया गया था।

6– विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के भीतर हटायी गयी विज्ञापन सामग्री को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपने विज्ञापन पट के विवरण सहित प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिस पर अधिशासी अधिकारी द्वारा विज्ञापन पट के प्रकार, आकार, मात्रा आदि को दृष्टिगत रखते हुए आरोपित जुर्माने को जमा करने की दशा में सामग्री सम्बान्धित व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

7– विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्तर्गत हटायी गयी विज्ञापन सामग्री सम्बन्धित व्यक्ति यदि प्राप्त नहीं करता है तो अधिशासी अधिकारी इस सम्बन्ध में स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशन/सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके ऐसे विज्ञापन पटों व संबन्धित सामग्री को नीलाम कर सकता है।

8– इन उपविधि के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार किए जाने पर निम्न तालिका के अनुसार वार्षिक विज्ञापन स्थल शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

क्रम सं0	विज्ञापन का प्रकार	विज्ञापन शुल्क की दर (वार्षिक)
1	2	3
		रु0
1	यूनिपोल (अधिकतम आकार 10 × 20 वर्ग फुट)	30.00 प्रति वर्ग फुट
2	यूनिपोल के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के विज्ञापन पट व साइन बोर्ड	20.00 प्रति वर्ग फुट
3	डिजिटल पोल	30.00 प्रति वर्ग फुट
4	लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यन्त्र द्वारा प्रचार-प्रसार	200.00 प्रतिदिन
5	चलते फिरते वाहनों पर विज्ञापन पट/साइन बोर्ड द्वारा प्रचार	20.00 प्रतिदिन
6	गुब्बारे/कैनोपी के माध्यम से प्रचार	200.00 प्रतिदिन

9– साइन बोर्ड/होर्डिंग/यूनिपोल आदि के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए तथा यातायात सड़क सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

10– यूनिपोल/साइन बोर्ड/होर्डिंग को मजबूती से लगाये जाने का दायित्व संबन्धित अधिकृत व्यक्ति का होगा। उसके कारण होने वाले नुकसान व हर्जे-खर्चे का दायित्व भी संबन्धित व्यक्ति का ही होगा।

11– इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्नलिखित पर देय नहीं होगा–

1– ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थानों के कार्यों के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पाया जावे।

2– ऐसे साइन बोर्ड जो सम्बन्धित दुकान/मकान में होने वाले व्यवसाय का सूचक है एवं सम्बन्धित दुकान/मकान के ऊपर लगे है। उपरोक्त विषय में शर्त यह होगी कि इसके सम्बन्ध में पूर्व सूचना अधिशासी अधिकारी को देना अनिवार्य है।

12– नगर पालिका परिषद, कांधला (शामली) यदि उचित समझे तो यूनिपोल व अन्य सभी प्रकार के विज्ञापन पट व साइन बोर्ड प्रदर्शन व शुल्क वसूली करने का वार्षिक ठेका सार्वजनिक बोली/टेंडर अथवा सम्बन्धित से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार दे सकता है।

13– विज्ञापन हेतु ठेके की अवधि अधिशासी अधिकारी के विवेकाधीन अधिकतम पांच वर्ष की होगी।

14– ठेके की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी यदि उचित समझे तो पूर्व ठेकेदार का ठेका आवेदन-पत्र प्राप्त कर नवीनीकरण कर सकता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को प्रक्रियाधीन ठेका प्रदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण–

1– इस उपविधि में विर्निदिष्टि कर की दरों से अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारित वार्षिक शुल्क की दरों, दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगी।

2– इस उपविधि में वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य प्राप्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में पालिका हित में कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म को मान्य करना होगा।

3– शुल्क अग्रिम रूप से देय होगा।

4– यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 माह या उससे कम है तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, कांधला (शामली) यह निर्देश दे सकता है कि शुल्क मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किस्त में वसूला जायेगा।

5– शुल्क के सभी अवशेष उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय छह के अनुसार वसूली योग्य होगा।

6– सभी प्रकार के विवादों पर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, कांधला का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

सुरेश कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
कांधला, शामली।

कार्यालय, नगर पंचायत, थानाभवन, जनपद शामली

03 फरवरी, 2025

सं0 690/न0पं0था0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत थाना भवन, जनपद शामली द्वारा आहूत अपनी बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2024 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में ''कोलोनाइजर (नई कॉलोनी के विकास हेतु) उपविधि 2024'' बनायी गयी है। प्रस्तावित ''कोलोनाइजर (नई कॉलोनी के विकास हेतु) उपविधि 2024'' को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा-301 के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार सभी नगर वासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से नगर पंचायत थानाभवन कार्यालय के पत्रांक 567/न0पं0था0/को0उपविधि/2024, दिनांक 19 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रस्तावित'' कोलोनाइजर (नई कॉलोनी के विकास हेतु) उपविधि 2024'' का प्रकाशन समाचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा एवं मुजफ्फरनगर बुलेटिन में दिनांक 20 नवम्बर, 2024 में कराते हुए 30 दिन के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत थानाभवन कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगर पालिका अधिनियम, 1916 के निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त ''कोलोनाइजर (नई कॉलोनी के विकास हेतु) उपविधि 2024'' शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

नगर पंचायत, ''कोलोनाइजर (नई कॉलोनी के विकास हेतु) उपविधि 2024''

शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत थानाभवन, जनपद शामली में ''कोलोनाइजर (नई कॉलोनी के विकास हेतु) उपविधि 2024'' कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1—संक्षिप्त नाम एंव प्रसार—

1—यह उपविधि नगर पंचायत थानाभवन कोलोनाइजर एवं नई कॉलोनी का विकास उपविधि 2024 कहलायगी।

2—इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत, थानाभवन की सीमा के अर्न्तगत विकसित होने वाली सभी कॉलोनियों पर होगा। यह उपविधि उन कॉलोनियों पर भी लागू होगी जो कि पूर्व में किसी कोलोनाइजर द्वारा विकसित की जा चुकी है अथवा विकसित होने की प्रक्रिया में हैं।

3—यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

2— परिभाषाएँ—

1—अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम, 1965 (यथा संशोधित अधिनियम 2008) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

2—परिवर्तन अथवा परिवर्धन से तात्पर्य भवन की संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन से है जिसके अंतर्गत दीवार, छज्जा, दरवाजा, खिड़की, छत इत्यादि सभी सम्मलित है।

3—बेसमेंट से तात्पर्य भूतल से नीचे या अंशत भूतल के नीचे के निर्माण से है।

4—अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, थानाभवन के अधिशासी अधिकारी से है।

5—अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत, थानाभवन के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

6—बोर्ड से तात्पर्य नगर पचांयत, थानाभवन के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।

7–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होगें।

8–''नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्रॉफटमैन'' का अभिप्राय नगर पंचायत, थानाभवन के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस से है।

9–कोलोनाइजर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके द्वारा किसी कॉलोनी का निर्माण एवं विकास किया गया है।

10–शमन शुल्क से तात्पर्य उस शुल्क से है, जो कि किसी व्यक्ति पर इस उपविधि के प्रावधानों का उल्लंधन करने के फलस्वरूप दण्ड हेतु लगाया गया है।

3–नई कॉलोनी के निर्माण एवं विकास हेतु नियम व शर्ते– कोई भी व्यक्ति/कोलोनाइजर जो कि नगर पंचायत थाना भवन की सीमा के अर्न्तगत नयी कॉलोनी का निर्माण एवं विकास करना चाहता है उसे निम्न लिखित नियम व शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1–कोलोनाइजर को नई कॉलोनी का निर्माण करने से पूर्व एक लिखित प्रार्थना-पत्र/आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क व दस्तावेजों/अभिलेखों के साथ नगर पंचायत, कार्यालय में स्वीकृति हेतु जमा करना होगा।

2–यदि किसी भी नई कॉलोनी में निर्माण कार्य/विकास इस उपविधि के लागू होने के पश्चात बिना नगर पंचायत, की अनुमति/स्वीकृति के शुरू किया गया हो तो कोलोनाइजर को एक अवसर विनियमित कराने हेतु नोटिस के माध्यम से दिया जायेगा, जिसमे नगर पंचायत, बोर्ड/अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित शमन शुल्क लेकर स्वीकृति हेतु 15 दिन का अधिकतम समय दिया जायेगा।

3–यदि निर्धारित अवधि के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु नगर पंचायत, में कोई आवेदन प्राप्त नही होता है तो नगर पंचायत को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह 3 दिन के अन्तिम अवसर का नोटिस देते हुये नई कॉलोनी में हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दें तथा ध्वस्तीकरण में आने वाले खर्च को सम्बन्धित कोलोनाइजर से नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 6 में दी गयी रिति से वसूल कर लें।

4–नई कॉलोनी के विकास हेतु जो भी आवेदन नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें, उनमें अधिकतम 30 दिनों के अन्दर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। यदि बिना किसी यथोचित कारण के 30 दिन के अन्दर स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय नही लिया जाता है अथवा विलम्ब किया जाता है तो उसे स्वतः ही स्वीकृत माना जायेगा।

5–स्वतः स्वीकृति के सभी मामलों में यह प्रतिबन्ध होगा कि कोलोनाइजर द्वारा नगर पंचायत, द्वारा निर्धारित शुल्क/शमन शुल्क व नियम शर्तो का अनुपालन किया हुआ है।

6–नई कॉलोनी में सभी आवश्यक सुविधायें यथा–बिजली, पानी, सड़क, सफाई, जलनिकासी इत्यादि की व्यवस्था कोलोनाइजर को अनिवार्य रूप से करनी होगी।

7–कोलोनाइजर को कॉलोनी का निर्माण एवं विकास से सम्बन्धित सभी सुविधायें स्वीकृति मिलने के 02 वर्ष के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात उसे निर्धारित शुल्क जमा कर पुनः स्वीकृति लेनी होगी। पुनः स्वीकृति 1-1 वर्ष हेतु अधिकतम 3 बार ही दी जा सकती हैं जिस पर अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी का होगा, जो की बाध्य कारी होगा।

8–आवेदन के साथ एक निर्धारित धनराशि सिक्योरिटी के रूप मे नगर पंचायत, के पास बन्धक के रूप में होगी, जो की इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर जब्त कर ली जायेगी।

9–सिक्योरिटी धनराशि को अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जॉच उपरान्त पूर्णतः प्रमाण-पत्र निर्गत करने के उपरान्त की जारी की जायेगी।

10–नई कॉलोनी विकसित करने से पूर्व सभी कृषिगत भूमि को अकृषिगत उपयोग में लाने हेतु राजस्व सहिता की धारा 80 अथवा जो भी नियमानुसार प्रक्रिया है, कराना अनिवार्य होगा।

11– कॉलोनी की सड़के कम से कम 3 मीटर चौड़ी होगी तथा मुख्य सड़क से पहुॅच मार्ग कम से कम 6 मीटर चौड़ी होगी।

12– कॉलोनी मे पार्क आदि का निर्माण करना होगा।

13– कॉलोनी में वृक्षों की व्यवस्था कॉलोनी स्वीकृत कराने वालों की होगी।

14– सड़को को यथा सम्भव समकोण पर मिलाया जायेगा।

15– कॉलोनी में सभी सुविधायें विकसित करने तथा कोलोनाइजर द्वारा पुर्णतः प्रमाण-पत्र करने के पश्चात ही कॉलोनी नगर पंचायत, के प्रबन्धन में जायेगी।

16– नगर पंचायत, के प्रंबधन में आने के पश्चात कॉलोनी में ग्रहकर/जलकर/अन्य कर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत, का होगा तथा कॉलोनी मे विभिन्न सुविधाओं एवं उनका रख-रखाव का दायित्व नगर पंचायत का होगा।

17– व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

4–पूर्व विकसित कॉलोनी को विनियमित करने हेतु दिशा-निर्देश व शर्तें–नगर पंचायत, द्वारा ऐसी सभी कॉलोनियां जो की इसी उपविधि के लागू होने से पूर्व विकसित हो गयी है या निर्माणधीन है, उनको नगर पंचायत द्वारा नोटिस के माध्यम विनियमित करने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा। नोटिस की अवधि 15 दिन की होगी। यदि ऐसी कॉलोनियों को इस उपविधि के लागू होने से पूर्व नोटिस निर्गत किया गया तो वह विधि मान्य होगा। ऐसी सभी कॉलोनिया जो की इस उपविधि के लागू होने से पूर्व विकसित हुई हो एवं इनको 5 वर्ष या इससे अधिक समय बीत गया हो तथा इसके अर्न्तगत आने वाले मकानों पर नगर पंचायत, द्वारा कर अधिरोपित कर रखा हो तो ऐसी कॉलोनियों मे सड़क, पानी, बिजली एवं साफ-सफाई की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नगर पंचायत बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जो कि विधिमान्य होगा।

5–पूर्व कॉलोनियों को विनियमित करने की प्रक्रिया–

1–नगर पंचायत, द्वारा ऐसी सभी कॉलोनियों को चिन्हित करते हुये सम्बन्धित कोलोनाइजर/व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया जायेगा, जिसमे उनसे अपेक्षा की जायेगी कि वह नगर पंचायत, द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुये विधिवत रूप से दस्तावेजों सहित आवेदन नगर पंचायत, कार्यालय में प्रस्तुत करें।

2– नगर पंचायत, द्वारा दी गयी नोटिस की अवधि 15 दिन की होगी, जिसमें शर्तों का उल्लेख किया हुआ होगा।

3– यदि इस सम्बन्ध मे पूर्व में नोटिस निर्गत किया गया हो तो वह भी विधिमान्य होगा।

4– नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहने पर सम्बन्धित कोलोनाइजर/व्यक्तियों को नई कॉलोनियों को विनियमित करने हेतु अन्तिम अवसर देते हुये पुनः 7 दिन का नोटिस दिया जायेगा, यदि इसके पश्चात भी कोलोनाइजर द्वारा नगर पंचायत, द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन करते हुये उसको विनियमित नही कराया जाता है तो उक्त कॉलोनी को अवैध मानते हुये नगर पंचायत, द्वारा ध्वस्त कराया जा सकता है तथा ध्वस्तीकरण का समस्त खर्च सम्बन्धित कोलोनाइजर /व्यक्ति से वसूला जायेगा।

5– इस उपविधि की किसी भी शर्त अथवा समस्त शर्तो को शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

6– उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 अर्न्तगत उस क्षेत्र को अकृषिगत कराना अनिवार्य होगा।

7– नगर पंचायत द्वारा ऐसे सभी आवेदन जो की नगर पंचायत कार्यालय में स्वीकृति/अनुमति हेतु प्राप्त हुये है, उन पर 30 दिन के अन्दर निर्णय लेना होगा अन्यथा कोलोनाइजर द्वारा कार्य शुरू किया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि 30 दिन की यह अवधि तब लागू नही जब कोलोनाइजर से किसी कार्य को करने या दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी हो।

6–विशेश उपबंध–नगर पंचायत, बोर्ड जनहित मे इस उपविधि के पूर्व विकसित/निर्मित कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी, साफ-सफाई जैसे बुनियादी देने हेतु निर्णय ले सकता है, यदि इस उपविधि के लागू होने से पूर्व नगर पंचायत, द्वारा जनहित में ऐसी किसी भी कॉलोनी में निर्माण कार्य या अन्य कोई बुनियादी सुविधा दी गयी हो तो वह अवैध नही होगी, भले ही ऐसी कॉलोनियों को विकसित करने वाले कोलोनाइजर को नोटिस दिया गया हो।

7– आवेदन-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज–

1– स्वामित्व संबंधी दस्तावेज,

2– शपथ-पत्र,

3– मानचित्र की प्रति,

4– शुल्क की प्रतिलिपि,

5– कॉलोनी हेतु भूमि किस-किस व्यक्ति से क्रय की गयी है, उनके नाम व पता।

6– अन्य कोई दस्तावेज जिसकी नगर पंचायत, द्वारा मांग की जाये।

8–कालोनाइजर हेतु की प्लान–कालोनी के विकाश या पुर्नविकास की अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र के साथ की-प्लान जिसमे उत्तर दिशा-सूचक और पैमाना (जो 1:10,000 से कम न हो) तथा उप-विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि की स्थिति को दर्शाया गया हो।

9– कालोनाइजर हेतु साइट प्लान–

1– आवेदक के स्वामित्व की भूमि के सजरा संख्या या अन्य स्थानीय प्राविधानो सहित सीमावर्ती भूमि के विवरण दिए जाएंगे।

2– सीमावर्ती भूमि आवेदक के स्वामित्व में होने पर तथा पूर्व मे उप-विभाजन स्वीकृत होने पर उसमे उपलब्ध सुविधाओ और प्रस्तावित स्थल हेतु विद्यमान पहुॅच मार्गो का भी उल्लेख होगा।

3– प्रस्तावित उप-विभाजन में स्थल से मुख्य सड़क या मार्ग तक पहुॅचने के स्थान की वर्तमान दूरी, सडक का नाम एवं चौड़ाई के उल्लेख सहित दर्शाए जाएंगे।

4– समस्त विद्यमान संरचनाओं और फीचर्स की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, आदि जाक स्थल की सीमा से 30 मीटर के भीतर हो, दर्शाई जायेगी।

10–उप-विभाजन तलपट मानचित्र–उप–विभजन तलपट मानचित्र 10 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:500, 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर तक के भूखण्डों हेतु 1:1000 तथा 50 हेक्टेयर से अधिक के भूखण्डों हेतु 1:2000 के पैमाने पर होगा तथा उसमे निम्नलिखित विवरण दर्शाये जायेगे।

1– पैमाना तथा उत्तर दिशा-सूचक।

2– स्थल के अन्दर समस्त प्रस्तावित एवं विद्यमान सड़कों की चौड़ाई।

3– सर्विसेज प्लान जिसमे नालियॅा, वाटर-सप्लाई नेटवर्क, सीवर, इलैक्ट्रिक लाइन्स, सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं, आदि एवं इनकी वाहय विद्यमान/प्रस्तावित सुविधाओं के साथ संयोजन की व्यवस्था दर्शायी गयी हो।

4– तालिका जिसमें उप-विभाजन तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समस्त भूखण्डों के आकार, क्षेत्रफल और उपयोग का विवरण दिया गया हो।

5– तालिका जिसमें स्थल का सम्पूर्ण क्षेत्र, सडके, खुले स्थान, विभिन्न उपयोगों के भूखण्ड यथा आवासीय, व्यवसायिक, सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग (जो उप-विभाजन के प्रस्तावित हो), के सम्पूर्ण क्षेत्रपल का विवरण।

6– निर्मित क्षेत्र मे स्थित भूखण्डों हेतु प्रस्तावित उप-विभाजन की दशा मे उपर्युक्त वर्णित विवरण के अतिरिक्त विद्यमान सडक से पहुॅच मार्ग की सुविधा भी दर्शाई जायेगी।

7– लैण्डस्केप प्लान (वृक्षारोपण सहित)

8– ग्राउन्ड वाटर के संरक्षण एवं रिचार्जिग हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा निम्न प्राविधान सुनिश्चित कराये जायेगे–

1–20 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में पार्क एवं खुले क्षेत्र के अंतर्गत कुल योजना क्षेत्र की लगभग 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिग हेतु जलाशय का निर्माण किया जाये, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होगा। जलाशय के निर्माण के पूर्व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत वर्षा जल के प्राकृतिक कैचमेन्ट एरिया को चिन्हित करते हुए जलाशय में वर्षा जल के सम्भावित ठहराव (रिटेन्शन) व स्टेगनेशन का अध्ययन कर उसके अनुसार ही जलाशय की गहराई निर्धारित की जाये, परन्तु जलाशय की गहराई किसी भी दशा में 03 मीटर से अधिक न रखी जाए।

2–पार्को में पक्का निर्माण, पक्के पेवमेन्ट सहित 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाए तथा वर्षा जल के अधिकतम भूमिगत रिसाव को पार्क एवं खुले क्षेत्रो मे प्रोत्साहित किया जाए।

3–सड़को, पार्को तथा खुले स्थान में ऐसे पेड़ पौधो का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो तथा जो कम जल ग्रहण करके ग्रीष्म ऋतु मे भी हरे भरे रह सके।

11– विशिष्टियॅा– कालोनाइजर द्वारा आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विशिष्टियॅा व विवरण प्रस्तुत किये जायेगे।

1– प्रस्तावित समस्त विकास कार्यो यथा सड़कों और गलियों की सामान्य विशिष्टियॉ, उनके ढाल और पेविंग, नालियॉ (साइड ड्रेन), पेयजल आपूर्ति का प्रावधान, मल व कूडा निस्तारण का प्रबन्ध, मार्ग-प्रकाश, खेल के मैदान, पार्क और सामुदायिक उपयोग विकाश के विवरण।

2– स्थल के समीप उपलब्ध वाह्य अवस्थापना सुविधाएँ यथा सीवेज निस्तारण स्थल, जल-निकाशी व्यवस्था (नाला आदि), मुख्य सडक, विधुत-आपुर्ति व्यवस्था, जल हेतु स्त्रोत, इत्यादि।

12– विकास अनुज्ञा-पत्र की वैधता– एक बार दी गई अनुज्ञा अधिकतम 2 वर्षो के लिए वैध होगी।

उक्त अवधि में आवेदक द्वारा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र नगर पंचायत, से प्रक्रियानुसार प्राप्त किया जायेगा।

प्रार्थी के आवेदन पर उक्त अवधि में नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शूल्क लेकर एक-एक वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम 3 बार वृद्धि की जा सकती है।

13– विकास के समय विचलन– विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान मे कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व नगर पंचायत, से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।

14– पूर्णता प्रमाण-पत्र– विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप मे सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति/कम्प्यूटरीकृत ड्राइंग सी0डी0 में जमा करेगा, जिसके आधार पर नगर पंचायत, द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

15– लैण्डस्केप प्लान– अधिशासी अधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृती के पूर्व लैण्डस्केप प्लान/वृक्षारोपण के निम्न प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाएगा तथा पूर्णता-पत्र जारी करने से पूर्व स्थल पर वृक्षारोपण की पुष्टि भी की जाएगी।

1– 6 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के एक और तथा 12 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों और अधिकतम 10-10 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण किया जायेगा। अधिक चौड़ाई की सड़को में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा।

2– बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र से सघन वृक्षारोपण द्वारा पृथक किया जायेगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

3– वाणिज्यिक योजना में कुल खुले स्थल के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहॉ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेगें।

4– संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएं, क्रीड़ास्थल/खुले क्षेत्रों तथा पार्क के न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग पर 'ग्रीनरी' होगी जहॉ न्यूनतम 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण किया जायेगा।

16– आवासीय भू-उपयोग– आवासीय भू-उपयोग के विकास में सड़कों एवं नालियों का नियोजन निम्नवत किया जायेगा–

200 मीटर तक लम्बे पहुॅच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 4 मीटर होगी, तथा 201-400 मीटर तक 6 मीटर, 401-600 मीटर तक 10 मीटर एवं 601-1000 मीटर तक 12 मीटर तथा 1000 मीटर से अधिक लम्बे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होगी।

17– अनावासीय भू-उपयोग– अनावासीय क्षेत्र यथा व्यवसायिक, कार्यालय एवं औद्योगिक भू-उपयोग में किसी भी सड़क की चौड़ाई 9 मीटर से कम नही होगी, जिसकी लम्बाई अधिकतम 200 मीटर होगी।

18– सड़कों के संगम–1– यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी तथा क्रास जंक्शन पर समस्त सड़कों की मध्य रेखाओं का 'एलाइन्मेंट' एक सीध में होगा।

2– सड़कों के जंक्शन इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार होंगे।

19– सड़क की लम्बाई की गणना– सड़क की लम्बाई की गणना उस मार्ग से अधिक चौड़े मार्ग के मिलन बिन्दु से की जायेगी।

20– ड्रेनेज व्यवस्था– ड्रेनेज व्यवस्था हेतु नालिया सड़क का अभिन्न अंग होंगी तथा उनमें पर्याप्त ढ़ाल होगा, ताकि जल की निकासी स्वतः हो सके।

21– बेसमेन्ट– 1– 200 वर्गमीटर तक के गैर-व्यवसायिक भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नही होगा, जबकि 200 वर्गमीटर तक के व्यवसायिक भवनों में अनुमन्य भू-आच्छादन के अधिकतम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में बेसमेन्ट अनुमन्य होगा।

2– सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम होने की दशा में व्यवसायिक भूखण्डों में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

22– सक्षम प्राधिकारी– इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। इस उपविधि में प्रावधानित किसी भी शर्त अथवा प्रावधान को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत, बोर्ड में निहित होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

23– संशोधन– इस उपविधि में संशोधन नगर पंचायत, बोर्ड के एक तिहायी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव अथवा अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।

24– निरसण– इस उपनियमावली के लागू होने के पश्चात निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एंव आदेश निष्प्रभावी माने जायेगें।

25– शिथिलीकरण– इस उपविधि के किसी भी प्राविधान/शर्तो को शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी का होगा।

26– दण्ड– यदि कोई भी व्यक्ति इस उपविधि में दिये गये प्रावधानों/शर्तो का उलंघन करते हुए कॉलोनी का निर्माण करता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा नगर पंचायत, द्वारा उस पर न्यूनतम रु0 10,000/– का जुर्माना करते हुए ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे सभी अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने का निर्णय शमन शुल्क के साथ नगर पंचायत, बोर्ड/अधिशासी अधिकारी का होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

जितेन्द्र राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, थाना भवन,
जनपद शामली।

कार्यालय, नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली

31 जनवरी, 2025 ई0

सं0 1489/न0पं0ज0बाद/2024-25—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली द्वारा आहूत बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2024 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में **''बेसमेन्ट हेतु उपविधि 2024''** बनायी गयी है। प्रस्तावित **''बेसमेन्ट हेतु उपविधि 2024''** को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार सभी नगर वासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से नगर पंचायत जलालाबाद, कार्यालय के पत्रांक सं0-1418/न0पं0ज0बाद/बे0उपविधि/2024 दिनांक 23 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रस्तावित **''बेसमेन्ट हेतु उपविधि 2024''** का प्रकाशन पंजाब केसरी एवं नव चेतन सत्यभाष में दिनांक 24 नवम्बर, 2024 में कराते हुए 30 दिन के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत जलालाबाद, कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगर पालिका अधिनियम 1916 के निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त **''बेसमेन्ट हेतु उपविधि 2024''** शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

''नगर पंचायत जलालाबाद, बेसमेन्ट हेतु उपविधि 2024''

शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली में **''बेसमेन्ट हेतु उपविधि 2024''** कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1— संक्षिप्त नाम एवं प्रसार—

1— यह उपविधि नगर पंचायत जलालाबाद, भू-गेह (बेसमेन्ट) उपविधि 2024 कहलायगी।

2— यह उपविधि नगर पंचायत जलालाबाद, की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी बेसमेन्टों पर लागू होगी।

3— यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

2— परिभाषाएँ—

1— अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम 1965 (यथा संशोधित अधिनियम 2008) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

2— परिवर्तन अथवा परिवर्धन से तात्पर्य भवन की संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन से है जिसके अंतर्गत दीवार, छज्जा, दरवाजा, खिड़की, छत इत्यादि सभी सम्मलित है।

3— बेसमेन्ट से तात्पर्य भूतल से नीचे या अंशत भूतल के नीचे के निर्माण से है।

4— अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद, के अधिशासी अधिकारी से है।

5— अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद, के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

6— बोर्ड से तात्पर्य नगर पचांयत जलालाबाद, के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था से है।

7– शमन शुल्क से तात्पर्य इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने पर लगने वाले दण्ड से है।

4– बेसमेन्ट के लिए नियम शर्ते–

1– बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग मे नही लिया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

2– बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए बगल की सम्पत्तियों से न्यूनतम 2 मी0 की दूरी पर अनुमान्य होगा।

3– बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा।

1– घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण,

2– वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य संरक्षा के लिए लगायी जाये,

3– पार्किग स्थल और गैराज,

4– भण्डारण कक्ष (स्टैकिंग रूम),

4– इस नियमावली में अधिनियमों/नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के सभी प्रावधान अक्षरक्षः लागू होगा।

5– बेसमेन्ट के लिए अपेक्षाएं–

1– बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग फर्श से सीलिंग तक न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 4 मीटर ऊँचा होगा।

2– बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जायेगा। संवातन की कमी यान्त्रिक संवातन द्वारा पूरी की जायेगी और इसके लिए ब्लोअर, एक्जास्ट पंखे अथवा वातानुकूलन प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी।

3– सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये, इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

4– आस-पास की मिट्टी और नमी को ध्यान मे रखते हुए नमीरोधी उपचार की भी व्यवस्था करनी होगी।

5– स्टिल्ट फ्लोर के नीचे यदि पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का प्राविधान किया जाता है अथवा भवन के बाहर पार्किंग हेतु एक्सटेन्डिड बेसमेन्ट का प्रावधान किया जाता है, तो बेसमेन्ट की छत भूतल के लेवल में होगी और उसमें मैकेनिकल वैन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी तथा स्लक्ब का स्ट्रक्चर/डिजाइन, आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होंगे।

6– बेसमेन्ट के प्राविधान– विभिन्न प्रकृति के भवनों में बेसमेन्ट का निर्माण निम्न तालिकानुसार अनुमन्य होगा

क्र0 सं0	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-उपयोग की प्रकृति	बेसमेन्ट के प्रावधान
1	2	3	4
	वर्गमीटर–		
1–	100 तक	आवासीय/अन्य गैर व्यवसायिक	अनुमन्य नही
2–	101 से अधिक परन्तु 2000 से कम	आवासीय	अनुमन्य भू-आच्छादन का 20 प्रतिशत
	101 से अधिक परन्तु 1000 वर्ग मी0 तक	गैर-आवासीय	अनुमन्य भू-आच्छादन के बराबर
	1000 वर्ग मी0 से 2000 वर्ग मी0 तक	गैर-आवासीय	अनुमन्य केवल वाहनों की पार्किंग हेतु
3–	2000 एवं उससे अधिक	व्यवसायिक एवं अन्य बहुमंजिले भवन	अनुमन्य
		औद्योगिक	अनुमन्य

6– पूर्व निर्मित बेसमेन्टों के लिए प्रावधान– ऐसे सभी बेसमेन्ट जो कि इस उपविधि के लागू होने से पूर्व निर्मित किये गये हो उनके लिए निम्नलिखित प्रावधान होंगे–

1– आवेदक द्वारा बेसमेंट की अनुज्ञा के लिए एक आवेदन-पत्र मानचित्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2– आवेदन-पत्र के साथ रु0 100/– प्रति वर्ग फुट फीस व एक मुश्त रु0 5,000/– शमन शुल्क के रूप में देय होगी।

3– आवेदन-पत्र को स्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु अधिशासी अधिकारी/बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4– बेसमेन्ट का प्रयोग मानवीय कार्यकलापों से इतर केवल भण्डार ग्रह/पार्किंग अथवा नगर पंचायत द्वारा अनुमन्य उपयोग हेतु ही किया जायेगा।

5– ऐसे सभी बेसमेन्ट जिनका निर्माण मानक एंव अपेक्षाओं के अनुरूप न हुआ हो, उनको मानक के अनुरूप परिवर्तित करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/अध्यासी की होगी अन्यथा सील बंद करने अथवा ध्वस्त करने की कार्यवाही नगर पंचायत द्वारा की जा सकती है।

6– पूर्व निर्मित सभी बेसमेन्टों को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क व शमन शुल्क लेकर सशर्त अनुमति दी जा सकती है। जिस पर निर्णय गुण-दोष के आधार पर अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। किसी भी वाद की स्थिति में सन्दर्भ को नगर पंचायत, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

7– ऐसे सभी बेसमेन्ट जो कि इस उपविधि के लागू होने से पूर्व निर्मित हुए है उनको 3 माह के अन्दर विनियमित कराने की जिम्मेदारी भू-स्वामी की होगी। इसमें विफल रहने पर नगर पंचायत, द्वारा निर्धारित समय अवधि बीत जाने के पश्चात नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

8– अस्पतालों में बेसमेन्ट का निर्माण मानक के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र रु0 10 के स्टाम्प पेपर पर मय शपथ-पत्र नगर पंचायत, में आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा तत्पश्चात ही बेसमेन्ट के प्रयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अस्पतालों में बेसमेन्ट के अनुमन्य प्रयोग से सम्बन्धित सभी आवेदन-पत्रों/प्रार्थना-पत्रों को नगर पंचायत, बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा। जिसका निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

7– नव निर्मित बेसमेन्टो के लिए दिशा निर्देश–

1– किसी भी बेसमेन्ट के निर्माण के लिए आवेदन-पत्र के साथ रु0 10 का स्टाम्प मय शपथ-पत्र नगर पंचायत, कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

2– नगर पंचायत, द्वारा जाचोंपरान्त बेसमेन्ट के निर्माण की अनुमति को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का निर्णय अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत, बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।

3– बेसमेन्ट का उपयोग पार्किंग, भण्डार गृह, के रूप में ही अनुमन्य होगा। व्यक्तिगत/मानवीय कार्यकलापों हेतु बेसमेन्ट के प्रयोग की छूट केवल नगर पंचायत, बोर्ड द्वारा सशर्त शर्तो का निर्धारण नगर पंचायत, द्वारा किया जायेगा।

4– इस उपविधि पर बेसमेन्ट निर्माण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश व गाईड लाइन प्रभावी रहेगें।

8– अपराधों का शमन–

1– इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध के शमन की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

2– शमन योग्य निर्माण से सम्बन्धित अपराध का शमन इस प्रतिबन्ध के साथ किया जायेगा कि अशमनीय निर्माण से सम्बन्धित अपराध को अभियुक्त आगे गतिमान नही रखेगा तथा अशमनीय अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य अथवा उपरोक्त शमनीय अपराध का शमन करने के आदेश देने वाले अधिकारी अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो 30 दिन से अधिक न होगी, समाप्त कर देगा, अन्यथा उसके विरूद्ध पुनः विधिक कार्यवाही एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हेतु नगर पंचायत, जलालाबाद, स्वतन्त्र होगा।

9– अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करना– अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य के शमन की अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इनकार करने में अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि–

1– अवैध निर्माण कहॉ किया गया है यथा बेसमेन्ट, सेमी-बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल या अनुवर्ती तलों पर तथा संलग्न भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, प्रकाश एवं संवातन व गोपनीयता पर उसका क्या प्रभाव है ?

2– क्या बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य सीमा से अधिक किया गया है, यदि हॉ तो संलग्न सम्पत्तियों एवं विद्यमान अवस्थापन सुविधाओं पर उसका क्या प्रभाव है ?

3– क्या निर्माण की अनुमति इससे पहले अस्वीकार की जा चुकी है, यदि हॉ, तो वर्तमान में शमन किये जाने का औचित्य ?

4– क्या निर्माण विद्यमान बिल्डिंग लाइन के प्रतिकूल है, यदि हॉ तो उसका क्या प्रभाव है ?

5– क्या निर्माण रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट से प्रभावित है, यदि हॉ तो क्या उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति ली गयी है ?

10– निम्नलिखित अपराध शमनीय नही होंगे–

1– सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं यथा-सड़क, रेलवे लाइन, पार्क ग्रीनवर्ज आदि हेतु आरक्षित अथवा उनसे सम्बन्धित भूमि पर किया गया निर्माण।

2– निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत किया गया निर्माण।

3– अवैध भू-खण्ड पर अथवा भवन में किया गया निर्माण।

4– सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना सम्बन्धित विभाग की अनुमति से किया गया निर्माण।

5– विवादित भूमि पर किया गय निर्माण।

6– स्टिलट फलोर तथा पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण।

7– भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से ऊँचे भवनों तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादनयुक्त अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

8– चार मंजिल से अधिक तल अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचाई के भवनों और विशिष्ट भवन यथा-शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एंव संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासो वाले भवनों जिनका भू-आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षानुसार अग्निशमन व्यवस्था एवं न्यूनतम निर्धारित सेट-बैक के बिना किया गया निर्माण।

9– पूर्व निर्मित भवनों में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन/परिवर्धन अथवा पुर्ननिर्माण में स्थानीय अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किया गया निर्माण।

10– हेरिटेज जोन, संरक्षित स्मारको तथा नागरिक उडड्यन क्षेत्र अथवा प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्र में भवन की ऊँचाई के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण।

11– नगर पंचायत जलालाबाद, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024 में निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित पार्किंग व्यवस्था न होने पर किया गया निर्माण।

12– 300 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ-टॉफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

13– राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय, नदी, नाले, आदि से आच्छादित भूमि पर किया गया निर्माण।

14– नगर पंचायत जलालाबाद, भवन निर्माण एंव विकास उपविधि 2024 की अपेक्षानुसार कार्यात्मक भवनों तथा 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना के बिना किया गया निर्माण।

15– जन-उपयोगी भवनों एंव सार्वजनिक सुविधा स्थलों के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा, प्रयोज्यता तथा सुगम्यता हेतु नगर पंचायत जलालाबाद, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2024 की अपेक्षाओं के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण।

11– शमन शुल्क की गणना–

1– यदि किसी मामले में शमनीय निर्माण एक से अधिक प्रकृति के अवैध निर्माण के अन्तर्गत आता है, तो शमन शुल्क प्रत्येक प्रकृति के अवैध निर्माण के लिए देय शुल्क को जोड़कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तल हेतु शमन शुल्क की गणना अलग-अलग की जायेगी।

2– अवैध निर्माण के शमन हेतु निर्माणकर्ता द्वारा शमन मानचित्र के साथ एकमुश्त अथवा ब्याज सहित किस्तों में जैसा अधिशासी अधिकारी/बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाये, जमा की जायेगी। साथ ही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क तथा अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण हेतु शपथ-पत्र भी जमा किए जायेंगे एवं तदुपरान्त ही मानचित्र शमन की कार्यवाही की जायेगी शमन हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा मानचित्र पर स्वीकृति सम्बन्धी शर्ते अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी।

3– शमन हेतु प्रस्तुत मानचित्र के प्रदर्शित भवन अथवा उसका कोई भाग जो शमनीय सीमान्तर्गत है, ध्वस्त नही किया जायेगा परन्तु अशमनीय भाग को नगर पंचायत, द्वारा विधि अनुसार ध्वस्त किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

4– अशमनीय भाग निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अपने व्यय पर हटाया जायेगा, अन्यथा नगर पंचायत, द्वारा ध्वस्त किया जायेगा।

12– सक्षम अधिकारी– इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा। इस उपविधि में प्रावधानित किसी भी शर्त अथवा प्रावधान को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शिथिल करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/नगर पंचायत, बोर्ड में निहित होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

13– संशोधन– इस उपविधि में संशोधन नगर पंचायत, बोर्ड के एक तिहायी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव अथवा अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।

14– निरसण– इस उपनियमावली के लागू होने के पश्चात निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेगें।

15– दण्ड– यदि कोई भी व्यक्ति इस उपविधि के लागू होने के पश्चात बिना स्वीकृति के बेसमेन्ट का निर्माण करता है तो उसे अवैध माना जायेगा तथा नगर पंचायत, द्वारा उस पर न्यूनतम रु0 10,000/– का जुर्माना करते हुए सील बंद की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे सभी अवैध बेसमेन्टों को विनियमित करने का निश्चय शमन शुल्क के साथ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, को होगा जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा। जुर्माने की धनराशि नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय-6 में दी गयी रीति से वसूली जायेगी।

जितेन्द्र राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत जलालाबाद,
जनपद शामली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स स्वास्तिक शुगर इन्डस्ट्रीज, खीरी (उ0प्र0) में श्री श्रवण कुमार गुप्ता, श्री भोला नाथ कपूर, श्रीमती दीपा कपूर, श्री संजय गुप्ता, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती भुवन कपूर, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज कपूर, श्रीमती साधना गुप्ता, श्री दीपक गुप्ता साझेदार थे। श्री भोला नाथ कपूर जी का दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को स्वर्गवास हो गया है एवं श्री दीपक कुमार गुप्ता जी का दिनांक 01 सितम्बर, 2024 को स्वर्गवास हो गया है। अब श्री दीपक कुमार गुप्ता जी के स्थान पर श्रीमती प्रियंका कपूर साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है।

श्रवण कुमार गुप्ता,
पार्टनर

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स–मोरूस हेल्थ केयर, पता– ब्लाक ए, फ्लैट नम्बर–104 1st फ्लोर लुब्रेस्ट आपार्टमेंट वृन्दावन कॉलोनी सेक्टर–11ए, लखनऊ–226029 से पंजीकृत है। यह कि दो साझेदार– श्री गौरव कुमार सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, श्रीमती साक्षी सिंह पुत्री श्री राजकुमार सिंह साझेदार थे। दिनांक 22 फरवरी, 2025 से दोनों साझेदार आपसी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल रहे है फर्म में किसी प्रकार की देनदारी/लेनदारी बाकी नहीं है। तथा फर्म विघटन कर दी गयी है। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नही है।

गौरव कुमार सिंह,
साझेदार,
मेसर्स–मोरूस हेल्थ केयर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयुक्ता तिवारी (AYUKTA TIWARI) पुत्री कमलेश्वर तिवारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–5945 4134 5787 में उसका नाम अयुक्ता तिवारी (AYUKTA TIVARI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आयुक्ता तिवारी (AYUKTA TIWARI) पुत्री कमलेश्वर तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कमलेश्वर तिवारी,
पता–ए59, मेहदौरी कॉलोनी,
तेलियरगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख हाईस्कूल अनुक्रमांक संख्या–796333 के अनुसार मेरा नाम (POOJA KUMARI) पुत्री लल्लन कुमार द्विवेदी अंकित है, विवाह उपरान्त मैरिज सर्टिफिकेट संख्या–2016 1380 3191, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा पासपोर्ट के अनुसार मैने अपना नाम (POOJA DWIVEDI) कर लिया है, भविष्य में मुझे पूजा द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

पूजा द्विवेदी,
पत्नी राहुल द्विवेदी,
पुत्री लल्लन कुमार द्विवेदी,
निवासिनी 230/1एफ, न्यू मेंहदौरी,
नजदीक त्रिवेणी गैस गोदाम,
तेलियरगंज, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम साक्षी सोनकर पुत्री रमेश चन्द्र सोनकर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–6506 2397 3301 में उसका नाम सच्ची लिखा है जो कि गलत है। भविष्य में उसे साक्षी सोनकर पुत्री रमेश चन्द्र सोनकर के नाम से जाना पहचाना जाए।

रमेश चन्द्र सोनकर,
निवासी–सड़वा कला,
नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम Anoop Kumar Tiwari पुत्र Dharm Raj Tiwari है वो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे NIOS (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) से प्राप्त गणित के अंक प्रमाण –पत्र (अनुक्रमांक–210195233020) में मेरा नाम Anoop Tiwari पुत्र Dharm Raj Tiwar अंकित हो गयाा है जो कि गलत है।

भविष्य में मुझे मेरे सही नाम Anoop Kumar Tiwari पुत्र Dharm Raj Tiwari के नाम से जाना व पहचाना जाय। एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

Anoop Kumar Tiwari,
R/o House No. 57,
Shri Ram Colony, Lohta Road,
Bhitari, Varanasi-221107

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रैइबा बानो (Raiba Bano) पुत्री अनवर अली है जो कि उसके आधार कार्ड एवं सभी शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मैने अपनी पुत्री का स्वास्थ ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम रैइबा बानो से बदल कर अफीफा अनवर (Afeefah Anwar) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को अफीफा अनवर पुत्री अनवर अली के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनवर अली पुत्र महमुद अली,
निवासी–484/29, इरादत नगर,
भिष्टी टोला डालीगंज निराला नगर
लखनऊ उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम यशिता वर्धन पुत्री कमलेश कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 5112 8206 8306 में उसका नाम अंशिका अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम यशिता वर्धन पुत्री कमलेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कमलेश कुमार,
पता ग्राम व पोस्ट फदनपुर,
थाना नौनहरा, जिला गाजीपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इन्द्रनाथ शर्मा (Indra Nath Sharma) पुत्र श्री राधिका प्रसाद शर्मा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख एवं सेवा सम्बन्धित परिचय पत्र में अंकित है। लेकिन त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या– 4507 9331 1428 में मेरा नाम इन्द्रनाथ अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम इन्द्रनाथ शर्मा पुत्र श्री राधिका प्रसाद शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय। एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इन्द्रनाथ शर्मा,
निवासी–675/3/470 कृष्णा नगर,
कीटगंज, प्रयागराज।

सूचना

मेरी पुत्री का आधार कार्ड सं0 4416 9000 2832 में यश्वी पाल गलत अंकित हो गया है। जब कि जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों में श्रुति पाल अंकित है, जो

सत्य व सही है। इसी नाम से जाना पहचाना व लिखा जाये।

तेज सिंह पाल,
पुत्र सियाराम पाल,
निवासी आई–2/71, केशव पुरम,
आवास विकास नं0–1 कल्यानपुर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेन्द्र प्रसाद वयस्क पुत्र बंशलाल है जो मेरे वाहन आर.सी., खतौनी, बैंक पासबुक व पहचान पत्र में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0–9555 0074 9269 में मेरा नाम सतेन्द्र अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेन्द्र प्रसाद वयस्क पुत्र बंशलाल के नाम से जाना व पहचाना जाय। एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेन्द्र प्रसाद वयस्क पुत्र बंशलाल,
निवासी–ग्राम ढ़ोडियाही कोराई,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवव्रत पाण्डेय पुत्र विवेक कुमार पाण्डेय है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3720 1840 5942 में उसका नाम विनायक पाण्डेय अंकित है, जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवव्रत पाण्डेय पुत्र विवेक कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विवेक कुमार पाण्डेय,
पता–965/118/72/2ए,
लूकरगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 कैलाश मोटर्स, 84/105, जी0टी0 रोड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) –208003 में नये भागीदार मेसर्स कैलाश ऑटो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने फर्म में 15 जनवरी, 2025 से भागीदारी ग्रहण कर ली है। अब फर्म में श्री विनीत चन्द्रा, श्रीमती निधि चन्द्रा, श्री विकुंथ चन्द्रा, मेसर्स तिरूपति सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स कैलाश ऑटो बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड भागीदार है।

विनीत चन्द्रा,
भागीदार–कैलाश मोटर्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की फर्म वी0एन0 इंडस्ट्रीज एक साझेदारी फर्म है, जो की बी 59 60 परसाखेड़ा बरेली 243502 में स्थित है। जिसकी पंजीकरण संख्या B10516 है जिसकी पंजीकरण दिनांक 09 सितम्बर, 2002 को हुआ था इसमें नितिन खंडेलवाल, बीना खंडेलवाल, विवेक खंडेलवाल नामक तीन साझेदार है। विवेक खंडेलवाल पुत्र रामअवतार खंडेलवाल मकान नंबर 8 सूर्य नगर, प्रेम नगर लाइन के पास, बरेली उत्तर प्रदेश 243122 फर्म से 04 मार्च, 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे है, उनके स्थान पर तन्मय खंडेलवाल पुत्र नितिन खंडेलवार, मकान नंबर 8 सूर्य नगर, प्रेम नगर लाइन के पास बरेली उत्तर प्रदेश 243122 फर्म में 04 मार्च, 2025 को शामिल हो रहे हैं।

नितिन खंडेलवाल,
वी0एन0 इंडस्ट्रीज बी 59 60,
परसाखेड़ा, बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रामजीत पुत्र राम खेलावन है, मेरे शैक्षिक अभिलेखों में आधार कार्ड, व पैन कार्ड पर अंकित है। सन्यास ग्रहण करने के उपरान्त मेरे गुरू द्वारा मेरा नाम ''भिक्खू आलार कालाम'' शिष्य भिक्खू यू0 नन्द रखा गया

है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है भविष्य में मुझे ''भिक्खु आलार कालाम'' शिष्य भिक्खु यू0 नन्द के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

भिक्खू आलार कालाम,
शिष्य भिक्खू यू0 नन्द,
मं0 नं0–190 सिद्धार्थ नगर, चौकिया,
सुल्तानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तेजस यादव पुत्र शैलेन्द्र यादव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0 8073 4040 0504 में उसका नाम तनमय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तेजस यादव पुत्र शैलेन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शैलेन्द्र यादव
पुत्र रामनन्द यादव
निवासी कृष्णा नगर, मुराई का बाग
डलमऊ, जनपद-रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन पुत्र संदीप है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम आर्यन से बदल कर रेयांश रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को रेयांश पुत्र संदीप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संदीप
28/18/5 नवाब यूसुफ रोड
डी0आर0एम0 आफिस के पास
प्रयागराज, उ0प्र0–211001

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह (SHIVENDRA PRATAP SINGH) पुत्र अखिलेश कुमार सिंह है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 8560 8798 8641 में मेरा नाम शिवेन्द्र प्रताप सिंह (SHIVENDRA PRTAP SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम शिवेन्द्र प्रताप सिंह (SHIVENDRA PRATAP SINGH) पुत्र अखिलेश कुमार सिंह के नाम से जाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिवेंद्र प्रताप सिंह
पता–ग्राम रारा पोस्ट उमरी
जिला फतेहपुर–212601

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्जुन जायसवाल है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4064 5656 5787 में उसका नाम अरनव जायसवाल अंकित हो गया है जो कि घरेलु नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्जुन जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संदीप जायसवाल
पुत्र ओमकार जायसवाल
पता–10, शंकर नगर, निराला नगर
लखनऊ, उ0प्र0।

NOTICE

General Public is informed that in my some educational documents my name is mentioned as Tripati Kumar S/o Kedar Nath Baranwal and in some other educational documents my name is mentioned as Tripati Kumar Baranwal S/o Kedar Nath Baranwal. The aforesaid both names are mine. In future I would be known and identified by my correct name Tripati Kumar Baranwal.

It is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by myself.

Tripati Kumar Baranwal
S/o Kedar Nath Baranwal
55C Baranwal House
Shakuntala Kunj Colony
Mundera Prayagraj (U.P.)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्पित सिंह पुत्र गुलाब चन्द्र है जो उसके सभी शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 5593 4757 5257 में उसका नाम प्रीतम दर्ज हो गया है जो कि उसका घरेलु नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्पित सिंह पुत्र गुलाब चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गुलाब चन्द्र पुत्र रामसत्य
निवासी ग्राम–बड़ोखर, पोस्ट–बड़ोखर
तहसील–कोरांव, प्रयागराज (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनामिका मिश्रा पुत्री दिनेश कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0 3577 2064 7699 में उसका नाम मौसमी मिश्रा अंकित हो गया है जो गलत है, भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम अनामिका मिश्रा पुत्री दिनेश कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

निर्मला मिश्रा
पत्नी दिनेश कुमार मिश्रा
नि0–देवरा, करछना, इलाहाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 प्रकाश फाइनेन्सर्स, एच0नं0 604, ज्वाला निवास, जी0टी0 रोड, एटा परिवर्तित पता–शिव कुटी, ठण्डी सड़क, एटा के साझेदारों/विधान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार से है–

यह कि दिनांक 02 मई, 2019 को फर्म के प्रथम भागीदार श्री आदित्य कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 जवाला प्रसाद निवासी एच0नं0–604 ज्वाला निवास, जी0टी0 रोड, एटा हाल निवासी एफ–272 कमला नगर, आगरा की मृत्यु होने के कारण दिनांक 02 मई, 2019 से श्री विमल कुमार पुत्र श्री ज्ञानशंकर निवासी–ठंडी सड़क, कृष्णा टाकीज के सामने, बाबूगंज, विजय नगर कॉलोनी, एटा तथा श्री अमन कुमार पुत्र श्री निर्मल कुमार, निवासी–शिव कुटी, ठंडी सड़क के सामने कृष्णा टाकीज एटा फर्म में सम्मिलित कर लिये हैं तथा दिनांक 27 मई, 2021 को फर्म की भागीदार श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री आदित्य कुमार गुप्ता की मृत्यु होने के कारण दिनांक 27 मई, 2021 से श्री आलोक कुमार गुप्ता निवासी ज्वाला निवास, जी0टी0 रोड, एटा हाल निवासी–एफ–272 कमला नगर आगरा

उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब दिनांक 27 मई, 2021 से दो नये पार्टनर श्रीमती नीता वार्ष्णेय पत्नी श्री निर्मल कुमार तथा श्री प्रखर कुमार पुत्र श्री विमल कुमार निवासीगण –ठंडी सड़क शिव कुटी, कृष्णा टाकीज के सामने एटा उक्त फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में, श्री विमल कुमार, श्री अमन कुमार, श्रीमती नीता वार्ष्णेय एवं श्री प्रखर कुमार साझेदार है।

विमल कुमार
भागीदार।

सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय स्टील्स, मेरठ रोड एवरी ऑटोमैटिक धर्म कांटा मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन सहायक निबन्धक कार्यालय मेरठ क्षेत्र मेरठ के यहां से दिन 08 दिसम्बर 1986 को हुआ था फर्म में दिनांक 03 अक्टूबर 2024 को फार्म नं0 7 के अनुसार सहायक निबन्धक फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा विजय पाल सिंह, शैलेन्द्र कुमार निवासीगण 570, सिविल लाईन, (नोर्थ) अंसारी रोड मुजफ्फरनगर पार्टनर के नाम पंजीकृत हुये थे और अब दिन 01 दिसम्बर 1986 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार शैलेन्द्र कुमार पार्टनर ने पार्टनरशिप से त्याग पत्र दे दिया है और उसी दिन 01 दिसम्बर 1986 को फर्म में श्रीमती आशा रानी नये पार्टनर के रूप में फर्म में शामिल हो गयी। वर्तमान में फर्म में विजय पाल सिंह व श्रीमती आशा रानी पार्टनर रह गये है।

विजय पाल सिंह (पार्टनर)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ए0 एम0 सिटीजन्स, डिप्टी गंज, नियर कौशल्या इण्टर कालेज, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद का पंजीकरण दिनांक 23 जुलाई 2021 को हुआ था जिसकी पंजीयन संख्या एम0बी0डी0–2094 है फर्म के पार्टनर 1–श्री मधुर प्रकाश गोयल, 2–श्री शुभम प्रकाश गोयल, 3–श्री नीरज कुमार गुप्ता के द्वारा फर्म को विघटित करने का निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को विघटन डीड तीनों पार्टनरों द्वारा निष्पादित कर दी गयी है।

श्री मधुर प्रकाश गोयल
पार्टनर
मेसर्स ए0एम0 सिटीजन्स,
डिप्टी गंज, नियर कौशल्या
इण्टर कालेज, मुरादाबाद,
जिला मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एम0टी0डी0 फार्मिगस, डिप्टी गंज, नियर कौशल्या इण्टर कालेज, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद जिसकी पंजीकरण संख्या एम0बी0डी0–2074 है का पंजीयन दिनांक 30 नवम्बर 2004 को हुआ था फर्म के पार्टनर 1–श्री मधुर प्रकाश गोयल, 2–श्री रूमा गोयल, 3–श्री नीरज कुमार गुप्ता, 4–श्री संजय कुमार गुप्ता के द्वारा फर्म को विघटित करने का निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को विघटन डीड चारों पार्टनरों द्वारा निष्पादित कर दी गयी है।

श्री मधुर प्रकाश गोयल
पार्टनर
एम0टी0डी0 फार्मिगस,
डिप्टी गंज, नियर कौशल्या
इण्टर कालेज, मुरादाबाद,
जिला मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एम0 डी0 ट्रेडर्स, सी–225 दीन दयाल नगर, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद जिसकी पंजीकरण संख्या एम0बी0डी0–2069 है जिसका पंजीयन दिनांक 18 नवम्बर 2024 को हुआ था फर्म के पार्टनर 1–श्री मधुर प्रकाश गोयल, 2–श्री नीरज कुमार गुप्ता के द्वारा फर्म को

विघटित करने का निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को विघटन डीड दोनों पार्टनरों द्वारा निष्पादित कर दी गयी है।

श्री मधुर प्रकाश
पार्टनर
एम0 डी0 ट्रेडर्स, सी–225
दीन दयाल नगर, मुरादाबाद,
जिला मुरादाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स शाश्वत पावर टेक, हेड आफिस महादेव झारखण्डी टुकड़ा नं0–1, दिव्यनगर, जनपद गोरखपुर में साझेदार डीड दिनांक 22 फरवरी 2021 में पार्टनर क्रमशः 1–श्री मोहन गुप्ता पुत्र श्री महेन्द्र गुप्ता, 2–श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन गुप्ता, 3–श्रीमती कमलावती पत्नी श्री मोहन गुप्ता, 4–श्रीमती सुमन पत्नी श्री संतोष कुमार गुप्ता, 5–श्री उमेश कुमार पुत्र स्व0 रामदास प्रसाद थे। साझेदारी डीड दिनांक 31 जनवरी 2025 से उक्त फर्म से 1–श्री उमेश कुमार, 2–श्रीमती कमलावती, दिनांक 31 जनवरी 2025 को फर्म से अलग हो रहे है तथा फर्म में श्रीमती चन्द्रा गुप्ता पत्नी श्री योगेन्द्र कुमार गुप्ता वर्तमान साझेदार के रूप में शामिल हो रही है। किसी का कोई बकाया लेना देना नहीं है। उक्त फर्म सहा0 नि0 गोरखपुर में पंजीयन संख्या G-5087 पर पंजीकृत है।

मोहन गुप्ता
साझेदार फर्म
शाश्वत पावर टेक,
हेड आफिस महादेव झारखण्डी
टुकड़ा नं0–1, दिव्यनगर,
जनपद गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम मोनिका पाहूजा पुत्री हंसराज पाहूजा था जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। शादी के बाद मैंने अपना नाम मोनिका पाहूजा से बदलकर जिया आहूजा रख लिया है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। भविष्य में मुझे जिया आहूजा पुत्री हंसराज पाहूजा पत्नी प्रतीक आहूजा के नाम से जाना व पहचाना जाये। एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जिया आहूजा
पत्नी प्रतीक आहूजा
नि0 74 (आहूजा भवन) लूकरगंज
तह0 सदर, प्रयागराज–211001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बुंटा भारत गैस, खसरा नं0 283 ग्राम बुंटा परगना थानाभवन तहसील उन जिला शामली का रजिस्ट्रेशन सहायक निबन्धक फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के द्वारा दिनांक 03 जून 2023 को हुआ था। फर्म में रजिस्ट्रेशन के समय 1–अजय बिन्दल पुत्र जी0सी0 बिंदल, निवासी वी0वी0 इण्टर कालेज रोड शामली, जिला शामली, 2–श्रीमती अंशु चौधरी पत्नी अनुज चौधरी, निवासी माजरा रोड, शामली, जिला शामली साझीदार थे। दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को फर्म में से श्रीमती अंशु चौधरी उपरोक्त ने अपनी साझेदारी समाप्त कर ली है अर्थात श्रीमती अंशु चौधरी ने फर्म उपरोक्त से अपना हिसाब किताब चुकता कर लिया है तथा अजय बिन्दल एक मात्र पार्टनर रह गया है और इस प्रकार दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को फर्म डिजोल्ड हो गयी।

अजय बिन्दल
पार्टनर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जी0 बी0 स्पोर्टस, पता सी–11–12, उद्योग पुरम दिल्ली रोड, मेरठ–250001 की साझेदारी में श्रीमती आशा कातुला, श्री राजीव कातुला, श्री हितेश कातुला एवं श्री ब्रिजेश कातुला साझेदार थे। दिनांक 13 अगस्त 2024 को श्रीमती आशा कातुला का स्वर्गवास होने के कारण फर्म

की साझेदारी दिनांक 16 अगस्त 2024 के अनुसार फर्म में श्री राजेश कातुला श्री हितेश कातुला एवं श्री ब्रिजेश कातुला साझेदार है।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजीव कातुला
साझीदार
मेसर्स– जी0 बी0 स्पोर्टस,
पता सी–11–12, उद्योग पुरम
दिल्ली रोड, मेरठ–250001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भगवती इंटरप्राइजेज, पता–डी–303, अंसल कोर्टयार्ड, बाईपास मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 की साझेदारी में श्री विकास त्यागी एवं श्री सुमित अग्रवाल साझीदार थे। दिनांक 23 अगस्त 2023 की साझेदारी में श्री सुमित अग्रवाल फर्म से अपना हिसाब किताब ले व देकर फर्म से अलग हो गये है। दिनांक 23 अगस्त 2023 की साझेदारी में श्री रजनीश त्यागी फर्म में नये पार्टनर आ गये है वर्तमान में श्री विकास त्यागी फर्म नये पार्टनर आ गये है। दिनांक 23 अगस्त 2023 की साझेदारी में श्री रजनीश त्यागी एवं श्री विकास त्यागी साझीदार है।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विकास त्यागी
साझेदार
भगवती इंटरप्राइजेज,
पता–डी–303, अंसल कोर्टयार्ड,
बाईपास मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनय जायसवाल पुत्र आकाश चन्द्र जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0 4059 3935 2421 में उसका नाम देवांश जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनय जायसवाल पुत्र आकाश चन्द्र जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आकाश चन्द्र जायसवाल
पुत्र अविनाश चन्द्र जायसवाल
निवासी–कुँवाडीह, पोस्ट–सरायइनायत
हनुमानगंज, फूलपुर, प्रयागराज (उ0प्र0)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनिका जायसवाल पुत्री आकाश चन्द्र जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0 5125 9869 7949 में उसका नाम अंशी जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम अनिका जायसवाल पुत्री आकाश चन्द्र जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आकाश चन्द्र जायसवाल
पुत्र अविनाश चन्द्र जायसवाल
निवासी–कुँवाडीह, पोस्ट–सरायइनायत
हनुमानगंज, फूलपुर, प्रयागराज (उ0प्र0)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदिदेव राजपूत पुत्र रमन सिंह है। विद्यालय में यही नाम अंकित है उसके आधार कार्ड संख्या 7446 6521 5219 में गलती से आर्दश राजपूत घरेलू नाम

अंकित हो गया है। भविष्य में मेरे पुत्र को आदिदेव राजपूत के नाम से पहचाना जायेगा।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रमन सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल
निवासी–ग्राम भवानीपुर,
पोस्ट–मोहनपुर रतनपुर
पट्टी, कन्नौज, उ0प्र0–209722

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुछ अभिलेखों में मेरा नाम चंचल कुमारी पुत्री स्व0 तारा चन्द है, जो कि गलत है। मेरे पैन, आधार के अनुसार मेरा सही नाम सविता गुप्ता पत्नी स्व0 बसन्त लाल गुप्ता है। मुझे सविता गुप्ता के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

सविता गुप्ता
पता–72के/1ए चक मुण्डेरा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शान्वी मिश्रा पुत्री नीरज कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख तथा जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 8830 8873 8923 में उसका नाम तन्वी मिश्रा अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शान्वी मिश्रा पुत्री नीरज कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नीरज कुमार मिश्रा
पुत्र श्री विद्यासागर मिश्रा
निवासी ग्राम पडरैया थाना व
तहसील–सोरॉव, जिला–प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आद्विक श्रीवास्तव पुत्र विकास श्रीवास्तव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 5236 3975 8795 में उसका नाम अमय श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आद्विक श्रीवास्तव पुत्र विकास श्रीवास्तव के नाम से पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विकास श्रीवास्तव
पता–111 सी0 श्याम नगर
कानपुर नगर–208013

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरिका दूबे है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है मैंने अपने पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम आरिका दुबे से बदलकर ऐशानी दूबे रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को ऐशानी दुबे पुत्री अनुपम दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनुपम दुबे
पुत्र श्री चंद्र नारायण दुबे
2/82 विश्वास खण्ड-2
गोमती नगर लखनऊ–226010

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम–संजेश कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी चोलियापुर, पोस्ट व तहसील–बिलग्राम, जिला–हरदोई है। जबकि आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम–संजय कुमार हो गया है।

मुझको मेरे सही नाम संजेश कुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जाये। आधार संख्या–3628 4196 1785

संजेश कुमार
पुत्र श्रीपाल
पता–चोलियापुर, पो0 व तहसील–बिलग्राम
जनपद–हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम–निधि मिश्रा पुत्री प्रभुनाथ मिश्रा है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड व सेवा संबंधित अभिलेखों में अंकित है। विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम निधि मिश्रा से बदल कर निधि द्विवेदी रख लिया है। भविष्य में मुझे निधि द्विवेदी पुत्री प्रभुनाथ मिश्रा, पत्नी दुर्गेश कुमार द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

निधि मिश्रा
469 बेतियाहाता
शिव मन्दिर के उत्तर
गोरखपुर–273001, उ0प्र0।

NOTICE

This is to inform that my correct name is Lajja Kumari D/o Shri Shyam Lal, W/o Shri Dinesh Kumar Sharma, which is mentioned in my educational documents, Aadhar Card, Pan Card. Due to my poor health, as per advise of my Astrologer, I have changed my name from Lajja Kumari to Latesh Sharma. In future, I shall be known and identified by Latesh Sharma, D/o Shri Shyam Lal, W/o Dinesh Kumar Sharma.

It is also hereby certified that all the legal formalities have been completed by myself in this regard.

Lajja Kumari
28 North Malaka,
Prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कल त्रिपाठी (UTKAL TRIPATHI) पुत्र बाल कृष्ण त्रिपाठी है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 7506 4094 9996 में उसका नाम उत्पल त्रिपाठी (UTPAL TRIPATHI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कल त्रिपाठी (UTKAL TRIPATHI) पुत्र बाल कृष्ण त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बाल कृष्ण त्रिपाठी
पुत्र शम्भू नाथ त्रिपाठी,
133/3ब, चांदपुर सलोरी, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–51 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।